

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छा.प्रा./आवंटन-व्यय/पू.भै./एस.बी.सी/25210/16-17/

दिनांक :- 21/12/2016

- 1 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
- 2 निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

विषय :- विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 के लिए बजट आवंटन लेखाशीर्ष- 2225- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, 196-जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता, (06)-देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से) (05)-विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (प्रा.शि.वि.) के 13-छात्रवृत्ति और वृत्तिका (आयोजना व्यय) में पात्र छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु नीचे लिखे अनुसार आवंटन जारी किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जायेगा :-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1.	1558	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर	300.00
2.	958	निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर	10.00
3.	2735	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), गंगानगर	0.17
4.	3282	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), हनुमानगढ़	0.68
5.	3735	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बीकानेर	0.80
6.	4492	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु	1.29
7.	5349	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुंझनू	25.00
8.	10196	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक- प्रथम) जयपुर	20.00
9.	10198	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक- द्वितीय) जयपुर	75.00
10.	6452	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) अलवर	10.87
11.	6454	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) अलवर	40.00
12.	7236	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) भरतपुर	14.71
13.	7239	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) भरतपुर	19.60
14.	7576	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) धौलपुर	38.18
15.	8468	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सवाईमाधोपुर	57.44
16.	8055	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) करौली	52.00
17.	11216	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक- प्रथम) सीकर	4.00
18.	11219	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक- द्वितीय) सीकर	10.00
19.	8914	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा	24.00
20.	12261	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) नागौर	5.00
21.	12262	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) नागौर	7.00
22.	13122	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक- I) जोधपुर	2.20
23.	31714	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक- II) जोधपुर	1.11
24.	13291	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जैसलमेर	0.20
25.	13976	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बाड़मेर	8.00
26.	14459	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जालौर	15.00
27.	14800	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सिरोही	20.00
28.	15571	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), पाली	20.00
29.	16289	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) अजमेर	10.00
30.	16290	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय) अजमेर	12.00
31.	17137	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बूंदी	20.00

32.	17971	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम), भीलवाड़ा	30.00
33.	17972	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम), भीलवाड़ा	26.00
34.	16781	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), टोंक	25.00
35.	18401	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), राजरामंद	15.00
36.	20688	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम), उदयपुर	4.00
37.	20689	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-द्वितीय), उदयपुर	2.63
38.	20897	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), डुंगरपुर	6.00
39.	21127	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बांसवाड़ा	8.00
40.	21402	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तौड़गढ़	18.00
41.	21597	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा	15.00
42.	21800	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बारां	8.00
43.	22087	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), झालावाड़	12.00
44.	22191	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), प्रतापगढ़	5.50
योग			999.38

(अखरे रूपए नौ करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार मात्र)

शर्तः— निम्न शर्तों के आधार पर राशि स्वीकृत की जावे—

1. छात्रवृत्ति हेतु आवंटित बजट का व्यय नियमानुसार किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जावे।
3. राशि का आहरण सम्बन्धित बजट मद की सही मोहर लगाकर करें।
4. राशि का व्यय पात्र छात्र-छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जावे।
5. आवंटित बजट के अनुसार व्यय की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निर्धारित प्रपत्र में माह के अन्तिम तारिख को भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।



 वित्तीय सलाहकार
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा—मा/छा.प्रा./आवंटन—व्यय/पू.मै./25210/16-17/

दिनांक : 21-12-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित की जावे।
- 4 सिस्टम अनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर (बजट) को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- 6 अनुभाग अधिकारी, छात्रवृत्ति/योजना अनुभाग कार्यालय हाजा
- 7 रक्षित पत्रावली


 लेखाधिकारी
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर